

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा जिला अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी— सुश्री नवज्योति कंवरिया (R.A.S)

अपील सं०
5/8

दायर दिनांक
29.08.2024

निर्णय दिनांक
31.01.2025

उनवान

1. राजेन्द्र सैनी पुत्र सेडूराम सैनी जाति माली निवासी भैरु का चबूतरा ग्राम उमरैण तह० अलवर
2. प्रदीप कुमार सैनी पुत्र प्रभूदयाल सैनी जाति माली निवासी विजय मंदिर रोड, शक्ति नगर, गोपाल अकादमी स्कूल अलवर
3. पवन कुमार सैनी पुत्र हरिराम सैनी जाति माली निवासी ग्राम उमरैण तह० अलवर

—अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर पंचायत समिति मालाखेड़ा तह० मालाखेड़ा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर मालाखेड़ा

—असल रेस्पॉडेन्टान

3. कुलदीप सिंह पुत्र दलीप सिंह

4. शर्मिला पुत्री दलीप सिंह जाति राजपूत निवासीयान 361, बंसत विहार अलवर तह० अलवर

—तरतीबी रेस्पॉडेन्टान


अपील विरुद्ध निर्णय ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर
इंतकाल संख्या 1098 दिनांक 20.06.2024

उपस्थिति:—

1. श्री कानसिंह नरुका एड० अपीलान्ट
2. श्री देवेन्द्र प्रधान एड० रेस्पॉडेन्ट

निर्णय

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 424 रकबा 0.22 है०, 508 रकबा 0.59 है०, कुल किता 02 रकबा 0.81 है० सम्पूर्ण अर्थात तरतीबी रेस्पॉडेन्ट संख्या 3 का 1/2 भाग व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट संख्या 4 का 1/2 भाग अपीलान्टान के द्वारा तय प्रतिफल अदा कर बाकब्जा तरतीबी रेस्पॉडेन्ट संख्या 3, 4 से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 28.05.2024 को अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा 1/2 भाग, अपीलान्ट संख्या 2 द्वारा 1/4 भाग व अपीलान्ट संख्या 3 द्वारा 1/4 भाग क्रय की गई। बाद क्रय उपरोक्त आराजीयात के अपीलान्टान हिस्से अनुसार बोनाफाईड परचेजर की हैसियत से मालिक काबिज चले आ रहे हैं और मौके पर काबिज रहते हुये कार्य काशत करते चले आ रहे हैं। मौके पर कोई किसी प्रकार का विवाद ना तो वक्त खरीद था और ना ही वर्तमान मे है। अपीलान्टान ने बयनामा की प्रति तहत अदालत के समक्ष पेश करते हुये इन्तकाल बैय स्वीकार करने का निवेदन किया जिस पर


उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

तहत अदालत ने आश्वस्त किया कि बैय स्वीकार हो जावेगा किन्तु तहत अदालत ने कानून को ताख पर रखकर खिलाफ मौका, कब्जा, विधि विरुद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत अपीलान्तान को बिना सुने मौके पर विवाद पाये जाने का गलत पृष्ठांकन करते हुये आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2024 पारित कर बैय अस्वीकार फरमा दिया जो आलोच्य आदेश न्यायोचित आधार पर आधारित ना होने व मौके पर कोई विवाद ना होने, खिलाफ मौका कब्जा विधि विरुद्ध होने के कारण काबिले अपास्त योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2024 का है जिसकी जानकारी पूर्व मे नही रही अपीलान्तान ने ग्राम पंचायत तहत अदालत के समक्ष बैयनामा दिनांक 28.05.2024 की प्रति पेश कर इन्तकाल बैय स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे इन्द्राज करने का निवेदन किया किन्तु तहत अदालत ने आलोच्य आदेश पारित कर दिनांक 20.06.2024 का इन्तकाल अस्वीकार कर दिया जिसकी नकल आदि दिनांक 22.08.2024 को प्राप्त हुई। उक्त देरी के लिये पृथक से दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के तहत समय को कण्डोन करते हुये अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की विधिवत रूप से रजिस्टर्ड तलबी होने के उपरान्त किसी प्रकार का कोई जवाब आदि प्रस्तुत नही किया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने पर अनापत्ति अंकित की। वकील अपीलान्त की बहस सुनी।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील अपीलान्त की बहस पर मनन किया। अपीलान्त ने इंतकाल में वर्णित विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा क्रय की है। रजिस्टर्ड बैयनामा में आराजी का कब्जा मौके पर खरीददारान को दिये जाने का स्पष्ट अंकन है। तहत न्यायालय को बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण प्रक्रिया अपनाये जाने में मौके पर कब्जा संबंधी विषय पर गौर करना नहीं होता है। तहत न्यायालय द्वारा अपने पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2024 बाबत इंतकाल संख्या 1098 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो एवं विधि विरुद्ध प्रतीत होता है। तहत न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। तहत न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2024 बाबत इंतकाल संख्या 1098 ग्राम जाटोली अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मालाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मुताबिक बैयनामा अपीलान्त के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर) राज

यह निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर) राज